L. A. BILL No. IX OF 2024

A BILL

further to amend the Maharashtra Municipal Corporation Act.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ९ सन् २०२४।

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

और क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में, एतद्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

सन् १९४९ का ५९।

(शा.म.मु.) एचबी ३१४७—१ (५५-२-२०२४)

संक्षिप्त नाम।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, २०२४ कहलाए।

सन् १९४९ का ५९ की धारा ५ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा ५ की, उप-धारा (३) के, प्रथम परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९४९ का ५९।

" परंतु, निगम के आम निर्वाचनों के संबंध में, महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, २०२४ के प्रारम्भण के पश्चात्, प्रत्येक प्रभाग, चार पार्षदों का परंतु तीन से कम न हो तथा पाँच से अधिक न होगा यथा संभव शीघ्र पार्षद निर्वाचित करेगा और प्रत्येक मतदाता, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उसके प्रभाग में निर्वाचित किए जानेवाले पार्षदों की संख्या के रूप में मतों की समान संख्या में मतदान करने का हकदार होगा :"। सन् २०२४ का महा. ।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, (सन् १९४९ का ५९) की धारा ५ की, उप-धारा (३) के प्रथम परन्तुक यह उपबंध करता है कि, नगर निगम के आम निर्वाचनों के संबंध में प्रत्येक प्रभाग, तीन पार्षदों का परंतु दो, से कम न हो, तथा चार पार्षदों से अधिक न हो, यथा संभव शीघ्र, पार्षद निर्वाचित करेगा और प्रत्येक मतदाता इस अधिनियम में अन्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी उसके प्रत्येक प्रभाग में निर्वाचित किये जानेवाले पार्षदों की संख्या के रूप में समान मत डालने के लिए हकदार होगा।

२. विद्यमान स्थिति की समीक्षा करने और प्रभागों में सेवाओं और विकास योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह उपबंध करना आवश्यक है कि, नगर निगम का प्रत्येक प्रभाग चार पार्षदो परन्तु तीन पार्षदों से कम न हो और पाँच पार्षदों से अधिक न हो, यथा संभव शीघ्र, निर्वाचित करेगा। उस प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की धारा ५ की उप-धारा (३) का प्रथम परन्तुक रखने के लिये प्रस्तावित किया गया है।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देशों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित २९ फरवरी, २०२४।

एकनाथ, शिंदे,
मुख्यमंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित २९ फरवरी, २०२४।

जितेंद्र भोळे,
सचिव (१) (कार्यभार),
महाराष्ट्र विधानसभा।